

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-II में प्रकाशनार्थ)

संख्या-13017/09/2012-अ.भा.से.(I)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 12 दिसम्बर, 2012

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राजस्थान एवं कर्नाटक सरकारों की सहमति से केंद्रीय सरकार सुश्री रागप्रिया आर., भा०प्र०से० (केएन:11) के साथ विवाह हो जाने के आधार पर श्री आर.वैकटेश कुमार, भा०प्र०से० (आरजे:10) का राजस्थान संवर्ग से कर्नाटक संवर्ग में एतद्वारा स्थानांतरण करती है।


(एस. एस. शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद,
हरियाणा.